भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3971

22 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात का मूल्य

3971. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात की कीमतों में कमी लाने के लिए इस आवश्यक वस्तु की लागत में कमी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लौह अयस्क, स्क्रैप इस्पात, इस्पात पेलेट जैसे कच्चे माल की कीमतों को कम करने और ऐसी वस्तुओं के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि ये इस्पात संयंत्रों में उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके; और

(ग) क्या मूल्य वृद्धि जारी रहने की स्थिति में सरकार का विचार इस्पात आयात पर शुल्क कम करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): उत्पादन, निर्यात/आयात जैसे वाणिज्यिक निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। तथापि, सरकार ने इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के अलावा, लौह और इस्पात की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खनन और खनिज नीति में सुधार, राज्य/केन्द्रीय पीएसयू, आदि द्वारा ओडिशा के समपहृत (फोरफिटेड) कार्यशील खानों का शीघ्र प्रचालन आदि शामिल है। केन्द्रीय बजट 2021-22 में, नॉन-अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट और लॉन्ग उत्पादों में सीमा शुल्क को समान रूप से 7.5% तक कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस्पात के स्क्रैप पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बीसीडी में छूट दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी को भी हटा दिया गया है/अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।

****